न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 83/11 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2011/00103

उनवान

1. शीला पुत्री सम्पत्ति उर्फ सम्पत पत्नि श्री भंवर सिंह जाति लोधा निवासी सैंत तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामो पत्नि ओमप्रकाश
2. रामवती पत्नि कैलाशी
3. रामदेई पत्नि पप्पू
4. अंगूरी पत्नि मुकुट
5. पार्वती पत्नि देवीचरन
6. किरनदेई पत्नि लालाराम

पुत्रीयान सम्पत्ति उर्फ सम्पत जाति लोधा निवासीयान मथुरा तह0 व जिला मथुरा उ0प्र0।

7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कुम्हेर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 28.06.2011 उनवानी शीला बनाम रामो मु0न0 97/09

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 21.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सैंत तहसील कुम्हेर में स्थित है। जिसके वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 के पिता काबिज खातेदार काश्तकार थे। उक्त आराजी उनकी स्वःअर्जित आराजी थी। वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 के पिता के कोई पुत्र नहीं था। इसलिये उसने शादी के बाद से ही वादी को अपनी सेवा सुश्रुषा करने हेतु अपने पास, पति व बच्चो सहित रख लिया और जीवनभर उनके साथ रहे। वादी व उसके बच्चो की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर वादी के पिता ने वादी के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 24.01.2007 को लिखकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया। अतः वादी अपीलाण्ट उक्त वसीयत के आधार पर विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पॉडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काविल खारिजी है। यह है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब दावा प्रस्तुत किये बिना ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर ही बहस सुनकर वादी अपीलाण्ट का दावा वादकरण नहीं होने के आधार पर खारिज करने में कानूनी भूल की है। जवकि वादी अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद पत्र में वादकरण पैदा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया है। अपीलाण्ट के पिता ने अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत की थी। परन्तु बाद में वसीयत नहीं मिलने पर विरासत का दाखिला खारिज खुल गया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट को वसीयत मिलने पर दावा प्रस्तुत किया। मात्र विवादित आराजी का दाखिला खुलने से दावा करने से रोका नहीं जा सकता है। वसीयत के आधार पर सिविल न्यायालय से दावा डिक्री हुआ। जिसकी अपील रैस्पो0 ने की, जो स्वीकार हुयी एवं फर्जी होने के विन्दु पर रिमाण्ड हुयी, जो अभी सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। वादकरण नहीं लिखने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 लागू नहीं होता है। रैस्पो0 को जवाव प्रस्तुत करना चाहिये था। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय देना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022(1) पेज 265 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार, वसीयत के आधार पर चाहे हैं। वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय में दावा करने का वादकरण नहीं होता है। अपीलांट ने सिविल कोर्ट में दावा किया, जो डिक्री हुआ। रैस्पो0 ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर की, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रिमाण्ड हुयी एवं वर्तमान में विचाराधीन है। नामान्तकरण से उत्तराधिकार तय नहीं होता। उत्तराधिकार सिविल कोर्ट तय करेगा। अपीलाण्ट की नामान्तकरण की अपील खारिज हो चुकी हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2022–23 पेज 603, 607, 2002(1) पेज 310, 2007(1) पेज 723, डीएनजे 2021 पेज 174, 2008 पेज 852, एआईआर 2021 पेज 4594 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि वादी अपीलाण्ट द्वारा वसीयत के आधार पर विवादित आराजीयात बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 21.09.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पति की मृत्यु पश्चात् विवादित आराजी का दाखिला खारिज उसके सभी वारिसो के वहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात् पार्वती द्वारा दिनांक 29.06.2009 को अपने 1/7 हिस्सो को समस्त छ बहनो को वहिस्सा बराबर का उपपंजीयक कुम्हेर के समक्ष रिलीज डीड कर दी उक्त रिलीज डीड पर भी वादी अपीलाण्ट का फोटो व अगूंठा निशानी अंकित है। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की भूमि को बैंक में रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी अपीलाण्ट को उपरोक्त सभी तथ्य एवं कार्यवाही का ज्ञान था। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.08.2009 को वसीयत के आधार पर दावा प्रस्तुत करते हुये, रैस्पो0 द्वारा धमकी दिया जाना अंकित किया है। चूंकि वादी अपीलाण्ट को उपरोक्त सभी कार्यवाही का ज्ञान था। अतः दिनांक 24.08.2009 को वादकरण पैदा होना उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 भरतपुर द्वारा भी वसीयत के क्रम में अनेक विरोधाभास रेखांकित करते हुये, प्रकरण को विचारण न्यायालय के लिये प्रतिप्रेषित किया गया है एवं वाद अभी विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि वसीयत ही दावे का आधार है। अतः वाद की सफलता के लिए, वसीयत का सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणक (Probate) होना परमावश्यक है। चूंकि वसीयत सक्षम न्यायालय से अभी अधिप्रमाणित नहीं हुयी है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.06.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/11/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 83/11(223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2011/00103
उनवानी :–

1. शीला पुत्री सम्पत्ति उर्फ सम्पत पत्नि श्री भंवर सिंह जाति लोधा निवासी सैंत तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामो पत्नि ओमप्रकाश
2. रामवती पत्नि कैलाशी
3. रामदेई पत्नि पप्पू
4. अंगूरी पत्नि मुकुट
5. पार्वती पत्नि देवीचरन
6. किरनदेई पत्नि लालाराम

पुत्रीयान सम्पत्ति उर्फ सम्पत जाति लोधा निवासीयान मथुरा तह0 व जिला मथुरा उ0प्र0।

7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कुम्हेर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 28.06.2011 उनवानी शीला बनाम रामो मु0न0 97/09

यह अपील .....21.....माह.....11.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री गोविन्द सिंह डागुर एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट श्री महाराज सिंह डागुर समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.06.2011 यथावत रखें जाते हैं।
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....21.....माह.....11.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

2/11/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।